Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

सेवा में,

सभी प्रधानाचार्य / वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान / राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला)
हरियाणा राज्य में ।

यादि क्र0 टी0–1 / माईग्रेशन / 2016–17 / 122
दिनांकः– 16.11.2016

विषयः– राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानो में छात्र / छात्रओं के प्रवास बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ मे।

छात्र / छात्राओं के प्रवास हेतु छात्र या उनके अभिभावक सीधे तौर पर निदेशालय आकर प्रवास हेतु निवदेन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रवास सम्बन्धी सभी दिशा–निर्देश विभाग की विवरण पत्रिका के पृष्ठ नं0 11 के बिन्दु नं0 19 पर उपलब्ध है तथा इस बारे निदेशालय के पत्र क्र0 टी–I / माईग्रेशन / 2016.17 / 10473 दिनांक 14.10.2016 व टी–I / माईग्रेशन / 2016.17 / 107 दिनांक 17.10.2016 के द्वारा पहले भी आपको सूचित किया जा चुका है। विभागीय नियमानुसार प्रवास प्रथम सैमेस्टर में 31 अक्टूबर तक ही संभव है। यदि इसके पश्चात भी संस्थान में प्रवास हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है तो उस स्थिति में सम्बन्धित संस्थान का प्रधानाचार्य /मुखिया कारण सहित पूर्ण केस बनाकर निदेशालय पर आगामी कार्यवाही हेतु भेजना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात भी यदि छात्र / अभिभावक प्रवास हेतु निदेशालय पर बिना प्रधानाचार्य की लिखित टिप्पणी के आता है तो सम्बन्धित संस्थान का प्रधानाचार्य /मुखिया सख्त प्रशासनिक कार्यवाही का पात्र होगा।

इन आदेशों की दृढता से पालना की जाए।

Vijay Sharma
सहायक निदेशक (प्रशिक्षण V)
कृतेः महानिदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग 16/11/16
हरियाणा।

CC:

1. Joint Director (Tech) for information.
2. Nodal officer (Website) for uploading it on department website.